बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प सं०–4 / मं०स० / का०का०(गठन)–01 / 2011........................ / पटना, दिनांक–........................ /

!! संकल्प !!

विषयः– **राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं के संबंध में।**

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कमजोर वर्गों के परिवारों को सहायता दिलाने, राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा व्यापक जन सहभागिता बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के गठन की व्यवस्था है। उक्त क्रम में विभागीय संकल्प सं0–995 दिनांक–16.11.2009 द्वारा राज्य कार्यक्रम समिति का पुनर्गठन किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 6 में उपाध्यक्षों को देय सुविधाओं का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत प्रदत्त आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाई के प्रसंग में उक्त संकल्प के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत उपाध्यक्षों को देय सुविधाओं के संबंध में निम्न निर्णय लिया है :–

(i) विभाग द्वारा अनुमान्य संख्या में निजी कर्मियों यथा आप्त सचिव, निजी सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक एवं आदेशपाल की सेवा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष को उनकी अनुशंसा पर वाह्य व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी। ऐसे वाह्य व्यक्तियों की सेवा सम्बन्धित उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही ऐसे कर्मियों को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन / भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(ii) उपाध्यक्ष को विभाग द्वारा एक ए0सी0 कार विभागीय संकल्प में इंधन की निर्धारित अधिसीमा के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु विभाग मे वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें वित्त विभाग के निदेशों के आलोक में भाड़े पर एक ए0सी0 एम्बेसडर कार उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा इसके परिचालन की अधिसीमा 3000 कि0मी0 प्रति माह होगी।

3. उपर्युक्त हद तक विभागीय संकल्प सं0–995 दिनांक–16.11.2009 की कंडिका 6 को संशोधित समझा जाय। उक्त संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसे बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

कृ0 पृ0 उ0

संकल्प सं०–4/म०स०/का०का०(गठन)–01/2011........................../ पटना, दिनांक–........................./
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

संकल्प सं०–4/म०स०/का०का०(गठन)–01/2011........................../ पटना, दिनांक–........................./
प्रतिलिपिः उप मुख्य मंत्री/ सभी मंत्री/ राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

संकल्प सं०–4/म०स०/का०का०(गठन)–01/2011........................../ पटना, दिनांक–........................./
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ अध्यक्ष एवं सदस्य, राजस्व पर्षद/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव

संकल्प सं०–4/म०स०/का०का०(गठन)–01/2011.....106......../ पटना, दिनांक–..8/8/11../
प्रतिलिपिः सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

8/8/11
(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के अपर सचिव